न्यायालय कलेक्टर सागर,जिला सागर (म.प्र.)

प्र.कमांक– 20 अ/19(3) वर्ष 2016–17
मौजा– मृगावली,भिलैया,मसवासीग्रन्ट, मुडेरी,भरदी, खरखरी, सहजपुरीकलां जिला सागर

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग कमांक–एक सागर
जिला सागर (म.प्र.) .... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन
वन विभाग .... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 6/7/2017)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–एक सागर म.प्र. ने ज्ञापन कमांक–137 ए/कार्य/वन भूमि/2017–18 सागर दिनांक 12.05.17 में कडान मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षा रोपण हेतु चिन्हित की गई प.ह.नं. 101 ग्राम पडरिया तहसील सागर की भूमि के स्थान पर जल संसाधन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई 250.08 हे. गैर वन भूमि में से 248.70 हे. वन भूमि के बदले वन विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने से हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित किया गया।

प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार मालथौन/सागर/देवरी/केसली/रहली से नियमानुसार भूमि का हस्तांतरण का प्रस्ताव मंगाया गया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–1 सागर से प्रस्तावित भूमि में से शेष रकवा 1.32 हे. छोडे जाने के संबंध में अभिमत मंगाया गया। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–1 सागर ने अपने पत्र क्रमांक–631/कार्य/वन भूमि/2017–18 सागर दिनांक 03.06.17 के द्वारा ग्राम सहजपुरी तहसील रहली की भूमि ख0नं0 1/2 रकवा 8.02 हे. में से रकवा 6.70 हे. भूमि हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार मालथौन ने अपने पत्र दिनांक 03.06.17 के द्वारा ग्राम मिर्गावली की भूमि ख0नं0 1/1/2 रकवा 96.00 हे., ग्राम भैलैया की भूमि ख0नं0 402/1/2 रकवा 30.00 हे. को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार सागर द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 03.06.17 में ग्राम मसवासी ग्रन्ट की भूमि ख0नं0 37/2 रकवा 50.00 हे. वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया। तहसील रहली द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.06.17 के द्वारा ग्राम सहजपुरीकलां की भूमि ख0नं0 1/2 रकवा 8.02 हे. में से 6.70 हे. वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार देवरी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 12.06.17 के द्वारा ग्राम मुडेरी तहसील देवरी की भूमि ख0नं0 47/1 रकवा 47.00 हे. वन विभाग को हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार केसली ने अपने पत्र दिनांक 03.07.17 के द्वारा ग्राम भरदी की भूमि ख0नं0 88 में से 14.38 हे., ग्राम खरखरी की भूमि ख0नं0 1 में से रकवा 4.68 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया।

अतः कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–एक सागर के ज्ञापन क्रमांक–137 ए/कार्य/वन भूमि/2017–18 सागर दिनांक 12.05.17 एवं कमांक–631 सागर दिनांक 03.06.17 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का हस्तांतरण स्वीकार करते हुए निम्नानुसार ग्रामों की शासकीय भूमि जो जल संसाधन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित है का म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2011) की धारा 237(3) के तहत म.प्र.शासन वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	कडान मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षा रोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित रकवा (हे. में)
01	मृगावली	मालथौन	1/1/2	96.00	96.00
02	भिलैया	मालथौन	402/1/2	30.00	30.00
03	मसवासीग्रन्ट	सागर	37/2	50.00	50.00
04	मुडेरी	देवरी	47/1	47.00	47.00
05	भरदी	केसली	88/2	14.38	14.38
06	खरखरी	केसली	1/3	4.68	4.68
07	सहजपुरीकलां	रहली	1/4	8.02	6.70
			कुल योग–	250.08	248.76

6/7/2017

(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला–सागर

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर

पृ.क्र0/8416/रीठकले0/17 सागर, दिनांक 06/07/2017

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
2– सचिव म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल
5– मुख्य वन संरक्षक वृत्त सागर जिला सागर
6– वन मंडल अधिकारी (स.) वन मंडल उत्तर/दक्षिण सागर वन मंडल सागर
7– अनुविभागीय अधिकारी सागर/देवरी/रहली/खुरई जिला सागर
8– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–एक सागर
9– तहसीलदार सागर/मालथौन/देवरी/केसली/रहली की ओर आदेशानुसार अभिलेख दुरूस्ती एवं आधिपत्य देकर पालन प्रतिवेदन दस्तावेजों सहित भेजे जाने हेतु।

कलेक्टर 6/7/2017

जिला–सागर